27/12/10

बतुलाए फरीकेन उपरा मूल वाद में तहसील दिल्ली से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री जारी की जा चुकी है। मूल वाद में डिक्री जारी होने के कारण 144 CPC के प्राथमिक पग में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्राथमिक पग 144 CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner